

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/835

--:: आदेश ::--

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पादरु व भूअ.नि. पादरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधारकार्ड, जनाधारकार्ड, वोटर कार्ड पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	इटवाया	689.	लाधा पुत्र खंगारा जातिभांभी	लाधाराम पुत्र खंगारा राम जाति- मेधवाल

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/77  
प्रतिलिपि -

दिनांक:-25.10.2025

1. तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण लाधाराम पुत्र खंगारा राम जाति मेधवाल निवासी- इटवाया तहसील सिवाना/सम्दड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रवाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

